न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 157/2022

जगदीश माली पुत्र श्री मगाराम बनाम विप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये

जाति माली निवासी बालोतरा तहसीलार पचपदरा

तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 30/09/2022

1.संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि गत सेन्टलमेंट अनुसार ग्राम बालोतरा पटवार मण्डल बालोतरा में खसरा संख्या 609 आबादी भूमि में अवस्थित थी और उक्त आबादी के अन्दर प्रार्थी का पटटाशुदा भूखण्ड अवस्थित है। पुनः बंदोबस्त सम्वत् 2024 के समय गत सेटलमेंट के अनुसार ही रेकॉर्ड संधारना करना चाहिए था। लेकिन द्वितिय सेटलमेंट के दौरा प्रश्नगत भूमि आबादी में इन्द्राज नहीं कर गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी गई। जबकि उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरीयें प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थी को अपनी पटटाशुदा भूखण्ड के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होने के उपरांत भी राजस्व अधिकारियो ने विवादित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतःप्रार्थी अपनी मालिकाना स्वामित्व की पट्टाशुदा व कब्जासुदा भूमि के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरूस्त करने व सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के उक्त पट्टासुदा व कब्जासुदा भूखण्ड के खसरा संख्या व भूमि की किस्म बाबत् किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकार्ड अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

3.विवादित भूमि की मौका व रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

4.प्रार्थी की ओर से दस्तोवजी साक्ष्य में ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 609 की जमाबंदी संवत 2030 से 2033 तक,कस्बा बालोतरा के प्रथम् बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति व नगरपालिका बाड़मेर द्वारा जारी प्रार्थी के नाम शाश्वत लीज क्रमांक 103 फोटो प्रतियां पेश की गई।

5.उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में तर्क दिये थे,कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट पिटीशन सुमेरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य डी.बी. सिविल रिट नम्बर 544/2020 बालोतरा के लूणी नदी के अतिक्रमण के संबंध में पेश कर रखी है,जिसमें प्रार्थी के द्वारा पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया एवं निवेदन किया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे के आधार पर प्रार्थी के पट्टासुदा एवं कब्जासुदा भूमि पर लूणी नदी में अतिक्रमण होना बताया गया है,जो गलत है,जिसमें माननीय राजस्थान उच्च

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

यालय द्वारा दिनांक 11.04.2022 को आदेश पारित करते वक्त प्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है जिस हेतु प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र श्री अदालत में पेश है,कि सरहद मौजा बालोतरा के खसरा नम्बर 609 रकबा 555 बीघा 10 विस्वा गैर मुमकीन आबादी भूमि में प्रार्थी का आवासीय भूखण्ड निम्न पड़ोस मध्य स्थित है,जिसके उतर में लालचंद संत का भूखण्ड दक्षिण में रास्ता,पूर्व में रास्ता तथा पश्चिम में आम रास्ता जिसका कुल क्षेत्रफल 3420 वर्गफिट तथा 380 वर्ग गज है,जिस पर प्रार्थी का निरन्तर व सतत् रूप से मारवाड़ रियासत के समय से कब्जा चला आ रहा है,प्रार्थी का उक्त भूखण्ड गैर मुमकीन आबादी में स्थित है,प्रार्थी का लूणी नदी के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। कि बाड़मेर जिले में प्रथम सेटलमेंट की कार्यवाही वर्ष 1956 के दौरान हुई,उस समय जरीब का नाप 165X165 बीघा थी तथा प्रथम सेटलमेंट में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र दोनों किनारों से सही एवं पुख्ता राजस्व रेकर्ड में दर्शाया गया है। द्वितीय सेटलमेंट वर्ष 1976 में किया गया,उस समय जरीब का नाप 132 X 132 बीघा कर दिया गया,तब सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से नदी का आकार,सीमा, किनारे द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा लूणी नदी के आकार, सीमा एवं किनारों को गलत रूप से दर्शाने से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले पक्षकारों को न तो सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध नहीं करवाया गया,जबकि सेटलमेंट अधिकारों को प्रथम सेटलमेंट के नक्शे को बदलने का बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कोई हक अधिकार नहीं था। पूर्व सेटलमेंट अधिकारों को मूल प्रविष्टि को हटाकर नई प्रविष्टि दर्शाने की शक्ति नहीं थी,फिर भी उक्त गलत रूप से की गयी प्रविष्टि का प्रार्थी को कभी ध्यान नहीं रहा,न ही प्रार्थी के हक अधिकार एवं कब्जे वाली भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी की गयी। पुराना खसरा नंबर 317, 322 व अन्य खसरों को सम्मिलित करते हुए द्वितीय सेटलमेंट के वक्त खसरा नम्बर 609 गैर मुमकिन आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया,जिसका कुल रकबा 555 बीघा 10 विस्वा राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया,उस वक्त नदी के पुराना खसरा नम्बर 456 का नया खसरा नम्बर 870 बना गया,जिसमें नदी के अड़ोस पाड़ोस के रहने वाले लोगों को राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

धिकारियों ने सुनवाई का अवसर दिये बिना और सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना नदी की आकृति,नदी के किनारे का परिवर्तन करते हुए नदी का रकबा गलत तरीके से बढ़ाकर मनमाने ढंग से राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन नदी दर्ज कर दिया एवं नदी की आकृति को परिवर्तन कर दिया गया। प्रथम सेटलमेंट में तैयार किये गये राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा पूर्व द्वितीय सेटलमेंट में जो राजस्व नक्शे तैयार किये गये उसमें भारी भिन्नता प्रथम दृष्टया अवलोकन से होती है,जिसमें राजस्व अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी अनुसार प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुने बिना मनमाने तरीके से एकांकी प्रविष्टि की गयी है,राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में की गयी प्रविष्टियां विधि विरूद्ध एवं बिना क्षेत्राधिकार की है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि द्वितीय सेटलमेंट में राजस्व नक्शे के खसरा नम्बर 870 में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त फरमावें एवं पुराना खसरा नम्बर 456 के माफिक दुरूस्त करावे एवं नया खसरा नम्बर 609 गैर मुमकीन आबादी भूमि को पुराने खसरा नम्बर 317,322 माफिक तरमीम दुरूस्ती की जावें। अपनी बहस के समर्थन में 1-2022 (2) DNJ (Raj.) 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. 2017 (4) DNJ (Raj.) 1740 Raj. High Court Jodha Ram Brahmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan 3- RRT 2022 (1) पीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 4. अपील LR 6933/2011 राजस्व मण्डल अजमेर, उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा वगैरा के न्यायिक दृष्टांत पेश किए गये।

इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था,जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एंव पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया गया था,कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवातें हुए आबादी बसावट के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा नगरपालिका बालोतरा में विवादित भूमि के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि जो गैर मुमाकिन नदी में होने के उपरांत भी पट्टा जारी करवा दियें। ऐसे पट्टे प्रारम्भः से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि विवादित भूमि आबादी में न होकर गैर मुमकिन नदी खसरा संख्या 870 भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था,कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्ठा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है,जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है,अपनी बहस को जारी रखतें हुए कथन किया था,पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 317 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात,विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब,तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है,कि गत सेटलमेंट में प्रश्नगत विवादित भूमि आबादी भूमि खसरा संख्या 609 में अवस्थित थी,लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय विवादित भूमि आबादी भूमि होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई,जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए विवादित भूमि को आबादी खसरा संख्या 609 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व लट्ठा नक्शें में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहें हैं,यह तो तय है,कि गत सेन्टलमेंट के अनुसार प्रश्नगत भूमि आबादी खसरान 609 की सीमा के भीतर आया हुआ था। और द्वितिय सेन्टलमेंट के दौरान विवादित भूमि आबादी में होने के उपरांत भी तत्कालीन सेन्टलमेंट अधिकारीयों द्वारा गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई,जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितिय सेन्टलमेंट अधिकारीयों को गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही रेकर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2022(2) DNJ (Raj.) पृष्ठ 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. में प्रतिपादित किया है कि Settment Deparment has mo right to reduce the area of the land व 2017 (4) DNJ (Raj.) पृष्ठ 1740 Raj. High Court Jodha Ram Brahmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan में प्रतिपादित किया है कि व RRT 2022 (1) तीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 में प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का भू प्रबंध विभाग को अधिकार नहीं है एवं अपील LR

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

3/2011 राजस्व मण्डल अजमेर,उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा वगैरा निर्णय दिनांक 03.12.2012 में भी वर्णित है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है,उसे नये रिकॉर्ड में दोहराया जाना चाहिए,जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हों। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदलें। माननीय न्यायालय के न्यायिक द्वष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है,कि गत सेटलमेंट के रेकार्ड के अनुसार ही द्वितिय सेटलमेंट के अधिकारीयों को रेकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार आबादी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितिय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितिय भू प्रंबध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का आदेश पारित हुआ हों। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एंव माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है,जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को विवादित भूमि में हुए रेकर्ड में फेरबदल गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही दुरूस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। क्योकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है,कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प/14/(28)(1)भू.अ./रा.प्र./ 2018

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

/153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 245 व 317 का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितिय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है,जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां तक विप्रार्थी द्वारा बिन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है,उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है,क्योकि प्रार्थी नें विवादित भूमि पर कब्जा/स्वामित्व की शाश्वत लीज प्रतियां पेश की है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

8.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितिय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30/09/22 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा